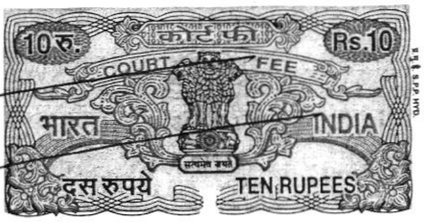

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प- भोपाल

R-3191-PBR/14

प्रकरण क्रमांक .....

राजेशकुमार वर्मा आत्मज स्वर्गीय हरप्रसाद वर्मा
आयु- लगभग 47 वर्ष निवासी ग्राम-झिरमटा
तहसील-सोहागपुर जिला- होशंगाबाद । ----- आवेदक

- विरुद्ध -

मध्यप्रदेश शासन - ---- अनावेदक

ओ.पी.दुबे अभिभाषक
द्वारा आज दिनांक
.9.14 को भोपाल
म्प पर प्रस्तुत ।
10.9.14

आवेदन अंतर्गत धारा- 50 म0प्र0भू रा0 संहिता-1959.

महोदय,

15-9-14

आवेदक द्वारा माननीय अपर आयुक्त नर्बदापुरम संभाग-होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 35/अपील/2003-2004 में पारित आदेश दिनांक 4/4/013 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत है ।

— 2 —

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3191–पीबीआर / 14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–12–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 4–4–2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 4–4–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10–9–14 को लगभग 15 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब के संबंध में उनका तर्क है कि अपर आयुक्त द्वारा उन्हें आदेश की संसूचना नहीं दी गई है, और दिनांक 7–3–13 को प्रकरण आदेशार्थ रखा गया था, परन्तु उस दिनांक को आदेश पारित नहीं किया गया, और जब आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में सम्पर्क किया गया, तब उन्हें आदेश की जानकारी दिनांक 19–8–14 को प्रथम बार हुई । अपर आयुक्त के आदेशिका को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर लिखित तर्क प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण आदेशार्थ दिनांक 4–4–13 की तिथि नियत की गई, और उसी दिनांक को अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है । इस प्रकार आवेदक के अभिभाषक की उपस्थिति में प्रकरण आदेशार्थ रखा जाकर आदेश हेतु दिनांक 4–4–2013 की तिथि नियत की गई, और उसी दिनांक को आदेश पारित कर दिया गया है । अतः आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होने का कोई औचित्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	